दिनांक 04 जून 2020 (Updated)

गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राप्त चुनावी बॉन्ड की योग्यता का विश्लेषण

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

टी-95, दूसरी मंजिल, सी.एल. हाउस,

गौतम नगर, दिल्ली – 110 049

ईमेल: adr@adrindia.org, दूरभाष : 011-4165 4200

परिचय

भारत सरकार ने चुनावी बांड योजना, राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था | योजना के प्रावधानों के अनुसार, केवल राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत हैं तथा जिसे पिछले आम चुनाव या विधान सभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मतदान हासिल किया हो, वही दल चुनावी बांड्स प्राप्त करने का हक़दार होगा |

इस मामले में उच्चतम न्यायलय ने दिनांक 12 अप्रैल 2019 को अपने अंतरिम आदेश में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारतीय संघ और संगठन (2015) : डब्लू पी (सिविल) क्रमांक 333/215 में निर्देशित किया है :

सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड्स के माध्यम से आजतक जितना भी दान प्राप्त किया है वे सभी दल चुनावी बॉन्ड की जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें, जिसमें प्रत्येक बॉन्ड के अनुसार दानदाताओं का विस्तृत विवरण जैसे हरएक बॉन्ड की राशि और बॉन्ड से प्राप्त दान का पूरा विवरण अथार्त बैंक खाते की जानकारी, जिसमें राशि जमा की गई है, जमा राशि की तारीख, यह सब जानकारी राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड के संबंध में आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा | इस तरह के अन्य बॉन्डों का विवरण जो कि राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है | इस संबंध में वित्त मंत्रालय के (दिनांक 28 फ़रवरी 2019) अनुसार इस तरह के बॉन्ड जारी करने की तारीख तक यानी 15 मई 2019 से 30 मई 2019 को या उससे पहले जमा किया जायेगा |

हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर काउंटर हलफनामे के मद्देनजर, एडीआर ने चुनाव आयोग को सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की एक सूची मांगी गई, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का विवरण को सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया था | जिसके जवाब में आयोग ने दिनांक 5 नवम्बर, 2019 को **राजनीतिक दलों** की सूची दी है, एडीआर ने चुनावी बांड प्राप्त करने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के पात्रता की जाँच की, इनमें से **69*गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों** ने उच्चतम न्यायलय के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए सील बंद लिफाफे के माध्यम से चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है | इन्हीं में से केवल **43 दलों** के वोट शेयर का विवरण उनकी पात्रता का आकलन करने के लिए उपलब्ध थे। चुनावी बॉन्ड योजना में उल्लेखित पात्रता मानदंड के अनुसार, विश्लेषण किये गए **43 दलों** में से केवल **एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल** को ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के योग्य पाया गया।

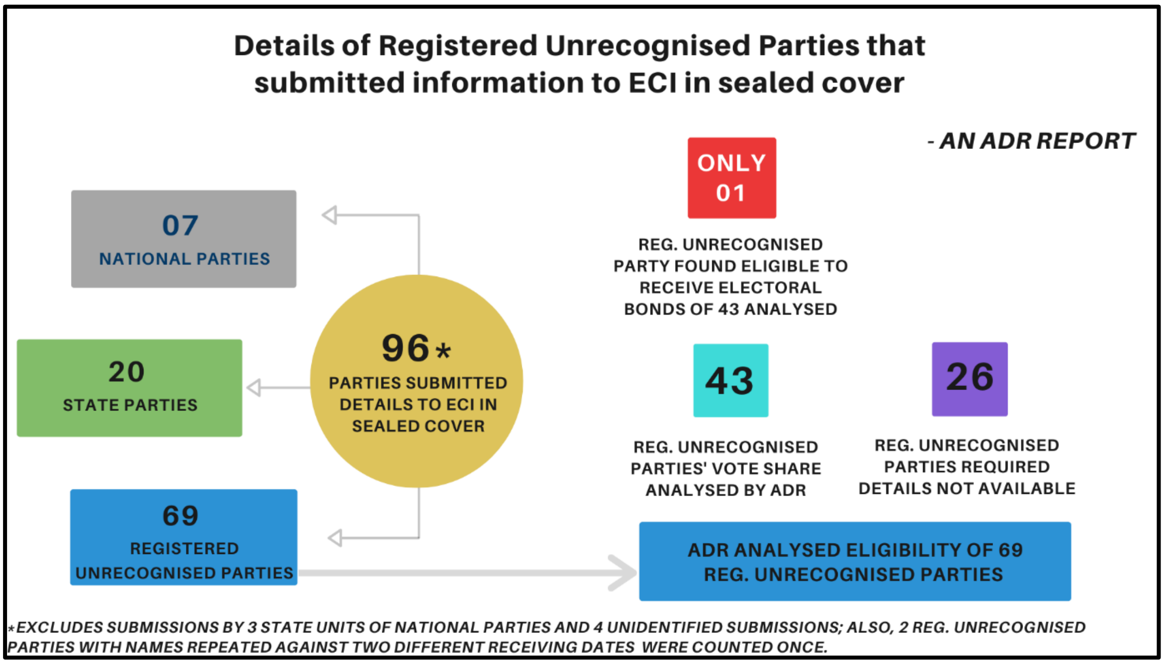

**बार-बार दलों के नाम (भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी) की गिनती के बाद*

विस्तृत विवरण

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा प्रस्तुत यह रिपोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के अनुसार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने वाले **69** पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की पात्रता या योग्यता की जाँच करती है | इस प्रयोजन के लिए एडीआर ने आवश्यक मतदान प्रतिशत (कम से कम एक प्रतिशत) के विवरणों का विश्लेषण किया है | इस विश्लेषण में केवल **43 राजनीतिक दलों** के ही पिछले मतदान प्रतिशत उपलब्ध हैं, जो लोक सभा और विधान सभा में उनके द्वारा चुनाव लड़े गए थे | उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश तक राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड्स का विवरण देना आवश्यक है यानी अंतरिम आदेश में उल्लेखित दिनांक 15 मई, 2019 की जमा करने की तिथि से पहले मई महीने के लिए चुनावी बांड की बिक्री का अंतिम दिन था | इसके मद्देनजर, दलों की पात्रता या योग्यता की जाँच के लिए मतदान प्रतिशत के आकड़े पिछले लोक सभा और विधान सभाओं के हैं जो 2019 लोक सभा और चार विधान सभाओं में चुनाव लड़े दलों के मतदान प्रतिशत से पहले का है |

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की पात्रता या योग्यता जिनके लिए आवश्यक मतदान प्रतिशत उपलब्धता

1. 69 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल **43 दलों** का ही मतदान प्रतिशत उपलब्ध है जिन्होंने पिछले लोक सभा और विधान सभा चुनाव लड़े थे | जबकि दो दलों के केवल **उपचुनाव** मतदान प्रतिशत उपलब्ध हैं | ये दो दल **नामधो कोंगु मुन्नेत्र कलागम** और **सोशलिस्ट पार्टी (सेक्युलर)** हैं जिनकी जानकारी नीचे दी गई तालिका के अंतिम दो में हैं |
2. जिन **43 दलों** के मतदान प्रतिशत उपलब्ध हैं, उनमें केवल **एक दल** ही पात्रता या योग्यता की कसौटी पर खरा उतरता है, जिसने पिछले आम चुनाव या विधान सभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मतदान हासिल किया है जो चुनावी फंड्स के माध्यम से दान प्राप्त कर सकता है यह दल **गोंडवाना गणतंत्र पार्टी** (जीजीपी) है, जिसने आखिरी बार **छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018** में लड़ा था जिसमें दल को कुल मतों का **1.73 प्रतिशत** मतदान प्राप्त हुआ था |
3. शेष **42 दलों** का मतदान प्रतिशत जिन्होंने चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से प्राप्त दान का विवरण सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को दिया था उनका मतदान अधिकतम **0.86 प्रतिशत** और न्यूनतम **0.0003 प्रतिशत** के बीच है |

Vote share of Registered Unrecognised parties whose last election contested details are available on ECI website						
S.No	**Political Party Name**	**Date of Receiving in ECI**	**Last Election Contested**	**Number of Contested Seats**	**Total Valid Votes**	**Voting Share**
Parties that meet the eligibility criteria to receive donations via Electoral Bonds						
1	Godwana Gantantra Party	30-May-19	Chhattisgarh Assembly Election 2018	38	247428	**1.73%**
Parties that do not meet the eligibility criteria to receive donations via Electoral Bonds						
2	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	1-Jun-19	Tamil Nadu Assembly Election 2016	29	373606	0.86%
3	Garib Janata Dal (Secular)	15-Jun-19	Bihar Assembly Election 2015	89	92279	0.24%
4	Aap Aur Hum Party	10-Jun-19	Bihar Assembly Election 2015	16	20663	0.05%
5	Peoples Party of India (Democratic)	30-May-19	Madhya Pradesh Assembly Election 2018	27	20378	0.05%
6	Aam Janta Party Rashtriya	17-Jun-19	Bihar Assembly Election 2015	7	8387	0.02%
7	Mulnibasi Party of India	2-Jun-19	West Bengal Assembly Election 2016	14	11785	0.02%
8	Sanjhi Virasat Party	17-Jul-19	Madhya Pradesh Assembly Election 2018	11	6526	0.02%
9	Bhartiya Dalit Party	20- Sep- 2019	Bihar Assembly Election 2015	4	6498	0.017%
10	Bhartiya Inqalab Party	18-Jun-19	Bihar Assembly Election 2015	4	3737	0.01%
11	Bhartiya Backward Party	29-Jun-19	Chhattisgarh Assembly Election 2013	1	1134	0.009%
12	Manavatawadi Samaj Party	7-Jun-19	Uttar Pradesh Assembly Election 2017	10	7714	0.009%
13	Lok Tantrik Janta Party (Secular)	1-Aug-19	Bihar Assembly Election 2015	5	2992	0.008%
14	Jawan Kisan Morcha	13-Jul-19	Bihar Assembly Election 2015	7	2890	0.008%
15	Ambedkarbadi Party	4-Jun-19	Odisha Assembly Election 2014	1	1120	0.005%

myneta.info National Election Watch

ADR Association for Democratic Reforms

Vote share of Registered Unrecognised parties whose last election contested details are available on ECI website						
S.No	Political Party Name	Date of Receiving in ECI	Last Election Contested	Number of Contested Seats	Total Valid Votes	Voting Share
16	Bhartiya Sarvjan Party	29-Jun-19	Uttar Pradesh Assembly Election 2017	6	3948	0.005%
17	Bhartiya National Janata Dal	29-May-19	Lok Sabha Election 2014	4	20209	0.004%
18	Naki Bhartiya Ekta Party	11-Jun-19	UP Assembly Election 2012	6	2798	0.004%
19	Labour Party (S)	2-Jun-19	UP Assembly Election 2012	2	3060	0.004%
20	Lok Nayak Party	22-Jul-19	Haryana Assembly Election 2009	1	317	0.003%
21	Rashtriya Jan Uthan Party	6-Jun-19	UP Assembly Election 2012	3	2110	0.003%
22	Janhit Dal	17-Jun-19	Bihar Assembly Election 2015	2	976	0.003%
23	Rashtriya Backward Party	18-Jul-2019	UP Assembly Election 2012	3	2178	0.003%
24	Bhartiya Rashtravadi Paksha	31-June-2019	Gujarat & Punjab* Assembly Elections 2017	5	695	0.002%
25	Valimai Valartchi Indians Party	27-Jun-19	Tamil Nadu Assembly Election 2016	5	910	0.002%
26	Aadivasi Sena Party	3-Jun-19	Lok Sabha Election 2014	2	11362	0.002%
27	Bhartiya Samaj Party-Bharatiya Samaj Dal	6-Aug-19	UP Assembly Election 2017	3	1674	0.002%
28	Yuva Vikas Party	10-Jun-19	UP Assembly Election 2017	3	1640	0.002%
29	Peoples Green Party	27-Jun-19	Kerala Assembly Election 2016	1	485	0.002%
30	Indian Christian Front	3-Jun-19	Tamil Nadu Assembly Election 2016	3	627	0.001%
31	Kisan Majdur Berojgar Sangh	24-Jun-19	UP Assembly Election 2017	1	1138	0.001%
32	Nagarik Ekta Party	1-Jun-19	UP Assembly Election 2017	3	1099	0.001%
33	Rashtriya Ambedkar Dal	12-Jun-19	Lok Sabha Election 2014	1	4327	0.001%
34	Federal Democratic Party	21-Jun-19	UP Assembly Election 2017	2	667	0.001%
35	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	21-Jun-19	Lok Sabha Election 2014	1	3392	0.001%
36	Bhartiya Rashtriya Morcha	11-June-19 & 24- June-19	UP Assembly Election 2012	1	455	0.001%
37	Bhartiya Samajik Kranti Dal	10-Jun-19	UP Assembly Election 2017	1	452	0.001%
38	Labour Party of India - Labour Party Of India(V.V. Prasad)	15-Jul-19	UP Assembly Election 2017	1	781	0.001%
39	Bharahtachar Virodhi Dal	15-Jul-19	UP Assembly Election 2002	1	582	0.001%
40	Pichhada Samaj Party	9-Nov-19**	Madhya Pradesh Assembly Election 2018	1	316	0.0008%
41	Bhartiya Majdur Kisan Congress Party	24-Jun-19	UP Assembly Election 2012	1	270	0.0004%
42	Bhartiya Nagrik Party	1-Aug-19	Lok Sabha Election 2009	1	1464	0.0004%
43	Neharu Janhit Congress	27-May-19	Lok Sabha Election 2014	1	1463	0.0003%
Parties whose vote share details for last general election/state assembly election are not available						
44	Namadho Kongu Munnetra Kalagam	8-Jul-19	TN- Assembly Dr.Radhakrishnan Nagar: Bye-election on 21-12-2017 (Chennai)	1	445	0.255%
45	Socialist Party (Secular)	24-Jul-19	Lok Sabha-2014 Mainpuri: Bye-election on 13-09-2014	1	1071	0.106%

*केवल एक सीट पर चुनाव लड़ा

**चुनाव आयोग द्वारा आरटीआई के जवाब में उल्लेखित तिथि

पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों जिनके आवश्यक मतदान प्रतिशत विवरण अनुपलब्ध हैं

1. शेष **24 राजनीतिक दलों** ने चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान विवरण सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है लेकिन इनमें से **11 दलों** का चुनाव लड़ने से संबंधित कोई भी विवरण आज की तिथि तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है |
2. इन **24 दलों** में से **10 दलों** ने आखिरी बार **2019 लोकसभा** में चुनाव लड़ा था और **एक पार्टी** ने आखिरी चुनाव **2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव** लड़ा | चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्रता के विश्लेषण के लिए इन **13 दलों** के मतदान प्रतिशत पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि उच्चतम न्यायलय के अंतरिम आदेश में **15 मई, 2019** तक चुनावी बांड के माध्यम से दान का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है |

Registered Unrecognised parties whose required vote share details are unavailable on ECI website			
S.No	**Party Name**	**Date of Receiving in ECI**	**Last Election Contested***
1	Rashtriya Samarsatta Party (Rashtriya Samrasta Party)	30-May-19	Lok Sabha 2019
2	Nirbhay Bharteey Party	30-May-19	Lok Sabha 2019
3	Right to Recall Party	30-May-19	Lok Sabha 2019
4	Garvi Gujarat Party	31-May-19	Lok Sabha 2019
5	Sabse Badi Party	03-Jun-19	Delhi Assembly 2020
6	Makkal Masotha Katchi	06-Jun-19	Not available
7	Public Party	06-Jun-19	Not available
8	Rashtriya Republican Party	07-Jun-19	Delhi Assembly 2020
9	Rashtriya Power Party	10-Jun-19	Lok Sabha 2019
10	Hindustan Action Party	11-Jun-19	Not available
11	Rashtriya Peace Party	12-Jun-19	Not available
12	Bhartiya Jan Samman Party	13-Jun-19	Lok Sabha 2019
13	Aam Jan Party (Secular)	13-Jun-19	Not available
14	Rashtriya Vyepuri Party (Rashtriya Vyapari Party)	13-Jun-19	Lok Sabha 2019
15	Kisan Party of india	17-Jun-19	Lok Sabha 2019
16	Vikas India Party	19-Jun-19	Maharashtra Assembly Election 2019
17	A.T.R. Kazhagam (Annan Tamilaga Rising Kazhagam)	27-Jun-19	Not available
18	United Front Party	04-Jul-19	Not available
19	Jay Janata Party	11-Jul-19	Not available
20	Asli Deshi Party	15-Jul-19	Lok Sabha 2019
21	Praja Congress Party	15-Jul-19	Not available
22	Bharat Prabat Party	15-Jul-19	Lok Sabha 2019
23	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	25-Jul-19	Not available
24	Labour Samaj Party	09-Aug-19	Not available

**कुछ मामलों में, चुनाव के विवरण उपलब्ध हैं जिनके परिणाम 30 मई, 2019 की नियत तारीख के बाद घोषित किये गए थे*

अवलोकन

1. 5 नवम्बर 2019 तक, **96*** राजनीतिक दलों में से केवल **20 दलों** ने ही उच्चतम न्यायलय के अंतरिम आदेश (दिनांक 12 अप्रेल 2019) का पालन करते हुए दिनांक 30 मई, 2019 से पहले चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड्स विवरण जमा किये हैं | शेष राष्ट्रीय दलों (और उनके राज्य इकाइयों) जैसे बीजेपी, कांग्रेस सीपीआई(एम) और क्षेत्रीय दलों में जेडीयू, बीजेडी, एआईडीएमके, आईयूएमल, शिरोमणि अकाली दल और कई गैर पंजीकृत मान्यता प्राप्त दलों ने दिनांक 30 मई, 2019 के बाद अपना विवरण आयोग को प्रस्तुत किया है |
2. दिनांक 03 फरवरी, 2020 को चुनाव आयोग द्वारा उच्चतम न्यायलय में दायर की गई **काउंटर हलफनामे** में कुल **105 दल** हैं, हालाँकि, इनमें से **चार प्रविष्टियों** में राजनीतिक दलों का पता अज्ञात है, जैसा की हलफनामे में चुनाव आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है।
3. **10** गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों जैसे सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय समर्सत्ता पार्टी (राष्ट्रीय समरसता पार्टी), मक्कल मासोथा कत्छी, असली देसी पार्टी, निर्भय भारती पार्टी, ए.टी.आर. कजहागम (अन्नन तमिलगा राइजिंग कजहागम), गर्वी गुजरात पार्टी, भारतीय

जन सम्मान पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग को सीलबंद लिफ़ाफ़े में आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए, ये सभी दल मार्च और अप्रैल 2019 के बीच पंजीकृत थे| इनमें से किसी भी दल ने 2019 के लोकसभा आम चुनाव से पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था|

4. चुनावी बॉन्ड्स योजना, 2018 में उल्लेखित पात्रता या योग्यता मानदंड के अनुसार, चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से दान प्राप्त करने के योग्य राजनीतिक दलों की कोई सूचि सार्वजनिक क्षेत्र में या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है | एडीआर के आरटीआई आवेदन (दिनांक 10 अक्टूबर, 2019) पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि आयोग ने ऐसी कोई भी सूचि को संकलित नहीं किया है |
5. इस योजना में उल्लेख किया गया है कि चुनावी बॉन्ड्स को केवल एक योग्य राजनीतिक दल अपने नामित बैंक खाते में जमा करके भुना सकता है, अब प्रश्न यह उठता है कि योजना के तहत आवश्यक पात्रता को पूरा करने में विफल रहे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में चुनाव बॉन्ड्स विवरण प्रस्तुत किया है |
6. चुनावी बॉन्ड योजना को देखकर ऐसा लगता है की राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड्स को भुनाने से पहले किसी भी स्तर पर जाँच करने का प्रावधान नहीं है |
7. यह रिपोर्ट बनाते समय देखा गया है कि चुनाव आयोग कि वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, **13 पंजीकृत गैर मान्यता** प्राप्त राजनीतिक दलों ने **आज तक** कोई भी आम चुनाव और विधान सभा चुनाव नहीं लड़ा है | जबकि दलों ने चुनावी बांड से प्राप्त दान की जानकारी सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया है |

एडीआर की सिफारिशें

1. चुनावी बॉन्ड्स ने चुनावी फंडिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को रोककर नागरिकों के मौलिक 'जानने का अधिकार' का उल्लंघन किया है | इस तरह कि अपारदर्शिता बड़े सार्वजनिक हित कि कीमत पर है और पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल सिद्धांतों के लिए एक गंभीर झटका है इसलिए चुनावी बॉन्ड्स योजना, 2018 को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए | मार्च, 2019 में एडीआर ने चुनावी बॉन्ड्स योजना, 208 के साथ-साथ राजनीतिक दलों को दान करने के लिए कंपनी का कुल लाभ सीमा के 7.5 प्रतिशत को हटाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी | अभी तक **96 दलों*** ने चुनाव आयोग को अपनी प्रतिकिया प्रस्तुत किया है, उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख नहीं दी है।
2. योजना की निरंतरता के मामले में, बॉन्ड दानदाता की गुमनामी के सिद्धांत को चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 में सार्वजनिक किया जाना चाहिए | सभी राजनीतिक दलों को जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने योगदान में दिए गए वित्तीय वर्ष में प्राप्त दान की कुल राशि के साथ प्रत्येक बॉन्ड के अनुसार दानदाताओं के विस्तृत विवरणों, प्रत्येक बॉन्ड की राशि और प्रत्येक बॉन्ड को प्राप्त क्रेडिट के पूर्ण विवरण की घोषणा करनी चाहिए | यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति की एक सच्ची तस्वीर आम जनता के सामने आए, इसके लिए प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग ढांचे को मानकीकृत किया जाना चाहिए |
3. चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 में उल्लेखित पात्रता मानदंड के अनुसार, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और आवश्यक मतदान प्रतिशत के आधार पर पिछला लोक सभा या विधान सभा का विवरण नियमित रूप से उपलब्ध होना चाहिए | इस सूचि को सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही साथ इस सूचि की एक प्रति चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री की लिए अधिकृत 29 एसबीआई बैंक की शाखा में उपलब्ध होनी चाहिए |
4. राजनीतिक दल जो लम्बे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन ये दल चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से दान प्राप्त करना जारी रखते हैं, इस तरह के दलों को चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की सूचि से हटा देना चाहिए तांकि यह सुनिश्चित हो सके की ऐसे दल चुनावी बॉन्ड्स योजना 2018 का लाभ उठाने में असमर्थ रहें |
5. चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए की कोई भी राजनीतिक दल जो चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करता हो पर वह दल निर्धारित मतदान प्रतिशत से कम मतदान प्राप्त करता हो, इस तरह के बॉन्ड्स को वह दल इनकैश ना कर सके |

**राष्ट्रीय दलों की तीन राज्य इकाइयों की प्रस्तुतियाँ को छोड़कर; और दो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल (भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी) जिनके नाम दो बार अलग- अलग तारीखों में सूची में दिए थे |*

6. यह स्पष्ट नहीं है कि यह **42 राजनीतिक दल** चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए अयोग्य है या नहीं पर जिन राजनीतिक दलों ने चुनावी बॉन्ड का इनकैश किया है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए|
7. सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का सभी जानकारी प्रदान करनी चाहिए| सभी दान दाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक जांच के लिए आरटीआई के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए|

सम्पर्क विवरण

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators	Maj Gen Anil Verma (Retd.) Head, NEW & ADR +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	Prof Jagdeep Chhokar IIM Ahmedabad (Retd) Founder, NEW & ADR +919999620944 jchhokar@gmail.com	Prof Trilochan Sastry IIM Bangalore Founder, NEW & ADR +919448353285, tsastry@gmail.com

अस्वीकरण

रिपोर्ट में इस्तेमाल डाटा (मतदान प्रतिशत विवरण) चुनाव आयोग द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जवाब और चुनाव आयोग के वेबसाइट में उपलब्ध Election Results & Statistics पेज से लिया गया है |रिपोर्ट बनाते समय डाटा की सत्यता का पूरा ध्यान रखा गया है | यदि रिपोर्ट में दी गयी जानकारी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई त्रुटि पायी जाती है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण ही ठीक माना जायेगा | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म और उनके स्वंयसेवक जिम्मेदार नही होंगे |

राजनीतिक दलों की फंडिंग से संबंधित एडीआर के रिपोर्ट देखें : https://adrindia.org/research-and-report/political-party-watch